भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3942
दिनांक 19 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

एनटीपीसी बॉयलर विस्फोट मामले की जांच

3942. श्री छोटेलालः
श्री आदित्य यादवः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रायबरेली के ऊंचाहार में 01 नवम्बर, 2017 को एनटीपीसी बॉयलर विस्फोट मामले की जांच में कितने व्यक्ति दोषी पाये गये हैं और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) ऊंचाहार बॉयलर विस्फोट मामले में की गई जांचों की संख्या कितनी है;

(ग) जांच के निष्कर्षों और उनपर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि उक्त मामले में दोषी पाए गए व्यक्ति को एनटीपीसी की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था लेकिन बर्खास्तगी के 2 महीने बाद उन्हें एनटीपीसी की संयुक्त उद्यम कंपनी ईईएसएल में नौकरी दे दी गई थी और वह आराम से सेवानिवृत्त हो गया और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का उक्त घटना की जांच करने और इस संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ङ) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 161(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 01 नवंबर, 2017 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के ऊंचाहार में एनटीपीसी लिमिटेड के फिरोज गांधी तापविद्युत संयंत्र (टीपीपी) में हुए बॉयलर विस्फोट की जिम्मेदारी तय करने के लिए दिनांक 06.11.2017 को सदस्य (तापविद्युत), सीईए की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। उक्त घटना के लिए जिम्मेदार तत्कालीन महाप्रबंधक (प्रचालन एवं अनुरक्षण), एनटीपीसी टीपीपी ऊंचाहार को एनटीपीसी आचरण, अनुशासन एवं अपील (सीडीए) नियमों के तहत आरोप-पत्र जारी किया गया था और इसके अलावा, आंतरिक जांच के आधार पर, कर्मचारी को शास्ति स्वरूप कम्पनी (एनटीपीसी लिमिटेड) से

अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी, उक्त शास्ति सरकार या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम/कंपनी में भविष्य में रोजगार के लिए अयोग्य नहीं बनाती है।

ईईएसएल (एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड) ने सीमित अवधि के लिए सलाहकार के रूप में उनकी सेवाएं ली थीं।

दुर्घटनाओं के कारणों की जांच के लिए छह (06) जांच समितियां गठित की गई थीं। इन समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ बॉयलर में अत्यधिक राख का निर्माण और निर्मित राख के बाहर निकलने के कारण ट्यूब की विफलता को बॉयलर में दुर्घटना के कारणों में से एक बताया गया। इन समितियों की मुख्य सिफारिशें/निष्कर्ष और उन पर की गई कार्रवाई इस प्रकार है -

समितियों की सिफारिशें:

1. राख के संचयन को नियंत्रित किया जाना चाहिए तथा भट्टी के निचले भाग की खाली जगह और राख हॉपर को अवरुद्ध किए बिना निरंतर राख निकासी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
2. संयंत्र प्रचालनात्मक स्थितियों के सभी तकनीकी विचार मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का हिस्सा होने चाहिए।
3. संयंत्र अभियन्ताओं और सामान्य प्रचालन टीम के पास कार्यों के अनुसार पर्याप्त और सुसंगत अनुभव होना चाहिए।
4. प्रचालन के दौरान मैनहोल के दरवाजे/स्कैफोल्ड के दरवाजे नहीं खोले जाने चाहिए और पानी के प्रवेश से बचना चाहिए।
5. जब भी लोग बॉयलर प्रचालन के दौरान किसी खराबी को टीक करने जाते हैं, तो सुरक्षित कार्य निष्पादन के लिए एक स्पष्ट चेकलिस्ट होनी चाहिए।
6. यूनिट में किसी भी गतिविधि के निष्पादन के लिए वर्क परमिट के प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा की गई कार्रवाई:

- ओईएम के परामर्श से सुरक्षा संबंधी अतिरिक्त बिंदुओं और दिशा-निर्देशों के साथ संचालन निर्देशिका नोट की समीक्षा की गई।
- एनटीपीसी के कार्यकारी प्रशिक्षुओं को प्रारंभिक स्तर पर 12 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें विद्युत संयंत्र के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। इसके अलावा, सौंपे गए कर्तव्यों के संबंध में सभी स्टेशनों पर नियमित प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं।
- ठेकेदारों के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित आधार पर सभी साइटों पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर सभी प्रासंगिक विषयों को शामिल किया गया है।
- निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) में सुरक्षा व्यवहार सूचकांक पेश किया गया है।
- प्रचालनात्मक संयंत्रों और निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए क्रॉस फंक्शनल सेफ्टी टास्क फोर्स सभी परियोजनाओं/स्टेशनों पर सुरक्षित कार्य स्थितियों की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए लगे हैं।
- राख के निर्माण का शीघ्र पता लगाने के लिए, डेस्क ऑपरेटर द्वारा निगरानी हेतु कैमरे लगाए गए हैं।

- एनटीपीसी सुरक्षा अधिकारियों और बाहरी (थर्ड पार्टी) सुरक्षा लेखा परीक्षकों द्वारा नियमित अंतराल पर आंतरिक और बाह्य सुरक्षा जांच की जाती है।
- जॉब सेफ्टी विश्लेषण को परमिट टू वर्क प्रणाली का हिस्सा बनाया गया है और स्टेशन इसका सख्ती से पालन कर रहे हैं।
- साइट पर होने वाली आपात स्थितियों का जल्द पता लगाने और उन्हें कम करने के लिए सभी ऑपरेटिंग स्टेशनों पर प्रभावी नियंत्रण प्रणाली प्रदान की गई है।
- प्रणाली की प्रचालनात्मक स्थिति की जांच के लिए नियमित मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है और किसी भी असामान्यता को तत्काल ठीक किया जाता है।
- आपदा प्रबंधन योजना पर जागरूकता कार्यक्रम भी नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।
- सुरक्षा संस्कृति को विकसित करने के लिए, कार्यस्थलों के विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर पोस्टर/होर्डिंग के रूप में विभिन्न संदेश/निर्देश प्रदर्शित किए जाते हैं। कर्मचारियों, ठेकेदारों के श्रमिकों और आस-पास के ग्रामीणों की सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए समय-समय पर सुरक्षा पर विभिन्न प्रतियोगिताएं और अभियान भी आयोजित किए जाते हैं।
- कार्यस्थल पर श्रमिकों की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी के लिए नियमित चिकित्सा जांच की जाती है। कार्यस्थल पर खतरों के बारे में उन्हें जागरूक करने के लिए कार्यस्थल पर श्रमिकों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण और उत्साहवर्धक वार्ता भी आयोजित की जाती है।
- किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जिला और राज्य प्राधिकरणों और आस-पास के उद्योगों के परामर्श से आपदा प्रबंधन योजना और आपातकालीन कार्य योजनाएँ तैयार की जाती हैं।

****